

अन्तिम डिक्री मूल वाद पत्र
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-86/2015

बनवारी पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी 5 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
—वादी

—बनाम:—

1. रामनारायण पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी 5 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

—डिक्री:—

दिनांक :- 26/11/2024

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राम कुमार शर्मा प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा एवं राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार खाता विभाजन कर अन्तिम डिक्री की जाती है:—

1. रामनारायण पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी 5 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़:—
चक 67000 आरडी प.नं. 76/362 मु.न. 47 किला नं. 1/1/.149 अनकमाण्ड पश्चिम दिशा, 10/1/.209 हैक्ट. कमाण्ड पश्चिम दिशा कुल 0.358 हैक्ट. कमाण्ड—अनकमाण्ड।
2. बनवारी पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी 5 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़:—
चक 67000 आरडी प.न. 76/362 मु.न. 47 किला नं. 1/1/.104 अनकमाण्ड पूर्व दिशा, 2 ता 5 की 1.012 हैक्ट. 7 ता 9/0.759 हैक्ट. 10/2/.044 हैक्ट., 11 ता 13/.759 हैक्ट. कुल 2.678 हैक्ट. कमाण्ड—अनकमाण्ड।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 26/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

